(179)

COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

।। श्री ।।

माननीय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालीयर
प्रकरण कमांक:– /2015/2016 अपील रि. निग – 2783-PBR-16

चन्दरसिंह आंयु 50 वर्ष पिता जुवारसिंहजी जाति राजपूत
निवासी ग्राम–घुड़ावन तहसील बड़नगर ----आवेदक

विरूद्व

प्रार्थी अभिभाषक श्री ... आशीष पारीक
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 5/8/16 05-8-16
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

सोहनसिंह पिता भंवरसिंहजी जाति राजपूत
निवासी ग्राम–घुड़ावन तहसील बड़नगर जिला उज्जैन
------अनावेदक

पूनरिक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.स.

न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय टप्पा इंगोरीया द्वारा प्रकरण कमांक 173/अ–12/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 12–6–2016 से असंतुष्ट होकर पूनिरीक्षण याचिका

22 5/8/16

मान्यवर महोदय,

आवेदक की और से पूनिरीक्षण याचिका निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

01 यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित होकर एसा कार्य किया है जिसे करने के लिए योग्य अधिनस्थ न्यायालय विधी द्वारा अधिकृत नही थी । उक्त आदेश प्रथम दृष्टि मे अपास्त करने योग्य है ।

02 यह कि अधिनस्थ न्यायालय की सीमांकन कार्यवाही मे आवेदक द्वारा दिनांक 6–6–2016 को धारा 129 भू0रा0स0 के अन्तर्गत सीमांकन निरस्त किये जाने हेतु आपत्ती प्रंस्तुत की उक्त आपत्ती नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को प्रेषीत की राजस्व निरीक्षक द्वरा आपत्ती आवेदन पर सुनावाई हेतु 14–6–2016 पेशी नियत की इसके पश्चात दिनांक 28–6–2016 पेशी प्रदान की एवं तत्पश्चात 12–7–2016 पेशी प्रदान की उक्त पेशी प्रार्थी के प्रति पर राजस्व निरीक्षक के हाथ की लिखी हुई है राजस्व निरीक्षक ने अपने मन से दिनांक 12–6–2016 को प्रकरण लेकर आदेश पारित किया कि आपत्ती निराधार है निरस्त की जाती है प्रकरण दायरा से कम होकर अभिलेखागार भेज़ा जावे । राजस्व निरीक्षक को आपत्ती के बिन्दु पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना थी न कि आपत्ती निरस्त करना थी ।

(7)

XXIX(a)-BR(H)-11

(179)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2783-पीबीआर/16 **जिला-** उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष वैध उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	